संख्या-273/2017/118/22-2-2017-17(25)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 31 मार्च, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रिहान पुत्र श्री विकार अली निवासी जनपद-बदायूँ की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-44244-359/प्रोबेशन-3/(एम-17-11-2016) दिनांक-16-12-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रिहान पुत्र श्री विकार अली, निवासी-चमरपुरा, थाना-सहसवान, जनपद-बदायूँ का रहने वाला है। बन्दी ने प्रधानी चुनाव को लेकर चली आ रही रंजिश के कारण 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 15.12.1999 को प्रात: लगभग 07:30 बजे बन्दूक व तमन्चों से गोली मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-486,487/2000 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 147, 148 व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट सं0-4, बदायूँ द्वारा दिनांक 10-09-2003 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बन्दी के 03 अन्य सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध हैं एवं 01 सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी । बन्दी द्वारा दिनांक 30-07-2016 तक 16 वर्ष 06 माह 18 दिन की अपरिहार तथा 20 वर्ष 10 माह 05 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ ने बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी ने प्रधानी चुनाव को लेकर चली आ रही रंजिश के कारण 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 15.12.1999 को बन्दूक व तमन्चों से गोली मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु 50 वर्ष 04 माह लगभग है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ है। बन्दी भविष्य में पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है, इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ ने 05 बिन्दुओं की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

किये गये अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रिहान पुत्र श्री विकार अली को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी रिहान (बन्दी संख्या-39199) पुत्र श्री विकार अली निवासी जनपद बदायूँ के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-273/2017/118(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-273/2017/118/22-2-2017-17(25)/2016

दिनांक 31 मार्च, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रिहान पुत्र श्री विकार अली, निवासी-चमरपुरा, थाना-सहसवान, जनपद-बदायूँ का रहने वाला है। बन्दी ने प्रधानी चुनाव को लेकर चली आ रही रंजिश के कारण 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 15.12.1999 को प्रात: लगभग 07:30 बजे बन्दूक व तमन्चों से गोली मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-486,487/2000 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 147, 148 व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट सं0-4, बदायूँ द्वारा दिनांक 10-09-2003 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बन्दी के 03 अन्य सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध हैं एवं 01 सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी । बन्दी द्वारा दिनांक 30-07-2016 तक 16 वर्ष 06 माह 18 दिन की अपरिहार तथा 20 वर्ष 10 माह 05 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ ने बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी ने प्रधानी चुनाव को लेकर चली आ रही रंजिश के कारण 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 15.12.1999 को बन्दूक व तमन्चों से गोली मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु 50 वर्ष 04 माह लगभग है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ है। बन्दी भविष्य में पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है, इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ ने 05 बिन्दुओं की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रिहान पुत्र श्री विकार अली को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in